

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....75...../2026

सं0सं0 अ0नि0(02) 01/2026/नि0सं0

श्रीमती अर्चना कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को वित्त विभागीय अधिसूचना सं0 5059 दिनांक 16.06.2014 एवं अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 में अन्तनिर्हित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रथम संतान के लिए दिनांक 01.12.2025 से 29.05.2026 तक कुल 180(एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0(02) 01/2026/स्था0.....

दिनांक

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य अभियोजक, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती अर्चना कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


ह0/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ0नि0(02) 01/2026/स्था0.....585

दिनांक 27/12/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप सचिव।

